

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़।

पत्रांक 1361 / एम0बी0ए0डी0पी0 / धन0आ0 / 2022-23 दिनांक 16 मार्च, 2023

मुख्य उद्यान अधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषय:- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त की धनराशि का आवंटन।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष आपके विभाग को कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल 03 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 70.60 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में (75 प्रतिशत) रू0 52.95 लाख (रू0 बावन लाख पिचानवे हजार मात्र) की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आपके विभाग के जिला सहकारी बैंक विकास भवन पिथौरागढ़ स्थित खाता सं0 002634001100651 में निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त की गयी है:-

- 1- प्रत्येक कार्य के आगणन / लागत पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 2- योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण स्वीकृत परिचय की सीमा तक ही किया जाय। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण - वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
- 3- उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाय एवं कार्यों की प्रगति का समय-समय पर समीक्षा / सत्यापन / मूल्यांकन / अनुश्रवण किया जाय।
- 4- प्रत्येक कार्यों के संबंध में योजनाओं का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया गया है तथा योजना की अनुमोदित लागत के कार्यों को लो0नि0वि0/ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित दरों पर नियमानुसार आगणन गठित कर उनका तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से एवं आगणन पर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाय। तकनीकी स्वीकृति उपरान्त आगणन की एक प्रति अनिवार्य रूप से डी0आर0डी0ए0 कार्यालय को प्रस्तुत की जाय। इसके साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ जो कि जी0पी0एस0 युक्त हो भी उपलब्ध कराये।
- 5- स्वीकृत कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, जैम पोर्टल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रिक्योमेन्ट रूल 2017 यथा संशोधित तथा शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- प्रत्येक कार्ययोजना के लिए समयबद्धता निर्धारित कर प्रस्तावित योजना को क्रियान्वयन शीघ्रताशीघ्र चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाय।
- 7- प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृति की जा रही है। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जाय।
- 8- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।

9- स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति / व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत् संबंधी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

10- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप उच्च कोटि गुणवत्तायुक्त सम्पादित किये जाय एवं भूकम्प अवरोधी प्रविधानों को प्राकलनों में समाविष्ट किया जाय।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2022 तक सुनिश्चित किया जाय।

12- समय - समय पर निर्माण कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

13- अनुमोदित योजनाओं / कार्यों को स्वीकृत धनराशि के तहत समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं इस धनराशि को अग्रिम आहरित कर बैंक में न रखा जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में पुनरीक्षित धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का दुरुपयोग / अनियमितता होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

14- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्य पूर्ण के उपरान्त का जी0पी0एस0 युक्त फोटोग्राफ (जिसमें कार्य का नाम, निर्माण वर्ष, कार्य की लागत एवं मद अंकित हो का फोटोग्राफ) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

15- प्रत्येक कार्य के विल, वाउचर एवं अभिलेख कार्यदायी संस्था अपने स्तर पर आडिट इत्यादि कार्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

संलग्न:- योजनाओं की सूची।


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

- प्रतिलिपि- 1. लेखाकार एम0बी0ए0डी0 पी0 को इस आशय से कि लेखा अभिलेखों में इसका अंकन करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों का विवरण

कार्यदायी संस्था का नाम	क0श0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना की लागत (लाख में)	आच्छादित ग्राम	योजना का औचित्य तथा आवश्यकता	अवमुक्त की जा रही प्रथम किरत 75 प्रतिशत की धनराशि (लाख रु0)
उद्यान विभाग	2	3	4	5	6	7	8
	1	मुनरखारी	10 ग्राम पंचायत में मधुमक्खी (एपीस) सेरीना इंडिका भारतीय मूल) पालन हेतु	21.00	1-धापा 2-तो0 दुमर 3-खसीयाबाड़ा 4-दरंती 5-सेरासुरार्धधार 6-दरकोट 7-पापड़ी 8-बर्नियागांव 9-जैती 10-जलथ 11 म0धोरपट्टा	स्वयं सहायता समूह के परिवारों को स्वरोजगार में बढ़ावा मिलेगा जिससे पलायन में कमी आयेगी। 1- कुल 21.00 लाख में कुल 456 युनिट (मौनग्रह, फेम, लोहे के स्टैण्ड आदि) जिसमें 114 परिवारों लाभ मिलेगा। जिसमें प्रत्येक एस0एच0जी0 के एक परिवार को मौनवंश के 4-4 युनिट दिया जायेगा।	15.75
उद्यान विभाग	2	मुनाकोट	पॉलीहाउस / मौनपालन आदि औद्योगिक गतिविधि	41.60	कानडी, गेठीगडा, भटडी, मनकटिया, बलतडी, झूलाघाट	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों / पगतिशील किसानों की आय नियमित आय में बृद्धि करने हेतु	31.20
उद्यान विभाग	3	मुनाकोट	आदर्श फा0पा0 जाजरचिंगरी में मशरूम उत्पादन केन्द्र निर्माण (स्थानीय युवाओं का कौशल विकास)	8.00	जाजरचिंगरी,	मध्याह्न भोजन में पोषिकाआहार की उपलब्धता तथा छात्रों में प्रयोगात्मक ज्ञान क्षेत्रीय ग्रामवासियों को प्रदर्शन से लाभ विद्यालय की नियमित आय जो एस0एच0जी0 के माध्यम से अन्य विद्यालयों में विक्री कर अर्जित आय से विद्यालय का विकास होगा।	6.00
				70.60			52.95


परियोजना निदेशक
डी०आर०डी०
एम० पिथौरागढ